न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 132/2008 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. रमेश पुत्र कजोडा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नंगला चारण तहसील व जिला अलवर राज0 (मृतक)
1/1. पुष्पा धर्म पत्नि स्व0 श्री रमेश चन्द जाति ब्राह्मण।
1/2. कालूराम पुत्र स्व0 श्री रमेश चन्द जाति ब्राह्मण।
1/3. सावन कुमार उर्फ सोनू पुत्र स्व0 श्री रमेश चन्द जाति ब्राह्मण।
1/4. कलावती पुत्री स्व0 श्री रमेश चन्द जाति ब्राह्मण।
1/5. मोना पुत्री स्व0 श्री रमेश चन्द जाति ब्राह्मण जर्ये सरपरस्त माता खुद श्रीमती पुष्पा।
2. मुरारी पुत्र कजोडा जाति ब्राह्मण।
3. रामवतार पुत्र कजोडा जाति ब्राहमण।
4. राजेन्द्र पुत्र कजोडा जाति ब्राहमण निवासीयान ग्राम नंगला चारण तहसील मालाखेडा जिला अलवर।
5. श्रीमती रामदेई पत्नि पूरण पुत्री कजोडा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम लीली हाल तहसील मालाखेडा जिला अलवर।
6. श्रीमती छमा पत्नि कमलेश पुत्री कजोडा जाति ब्राहमण निवासी पई गेट मालाखेडा हाल तहसील मालाखेडा जिला अलवर।

..... अपीलांटस

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र कजोड दत्तक पुत्र छज्जूराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम नंगला चारण हाल निवासी बहादरपुर तहसील व जिला अलवर।

..... वादी रेस्पो0

2. श्रीमती हेमलता पत्नि रामनारायण पुत्रवधू कजोडा जाति ब्राहमण निवासी मकान नंबर 78 इन्द्रा कालोनी अलवर तहसील व जिला अलवर।
3. नीरज पुत्र रामनारायण पौत्र कजोडा जाति ब्राहमण निवासी मकान नंबर 78 इन्द्रा कालोनी अलवर तहसील व जिला अलवर।
4. पंकज पुत्र रामनारायण पौत्र कजोडा जाति ब्राहमण निवासी मकान नंबर 78 इन्द्रा कालोनी अलवर तहसील व जिला अलवर।

.....असल रेस्पो0

5. उप पंजीयक अलवर।
6. तहसीलदार भू– अभिलेख अलवर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

7. गिर्राज पुत्र रामजीवन।
8. नन्दकिशोर पुत्र हरफूल (मृतक)
8/1. श्रीमती गुलाब बेवा स्व0 नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण।
8/2. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण।
8/3. नवल किशोर पुत्र स्व0 नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण।
8/4. राजेश कुमार पुत्र स्व0 नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण।
8/5. सावत्री देवी पुत्री स्व0 नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण।
8/6. ललता देवी पुत्री स्व0 नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण।
8/7. इन्दूबाला पुत्री स्व0 नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण।
9. अंगूरी देवी बेवा आनन्दीलाल।
10. महावीर पुत्र आनन्दीलाल।
11. अनिता पुत्री आनन्दीलाल।
12. हेमराज पुत्र नमोनारायण।
13. आसू पुत्र नमोनारायण।
14. बंटी पुत्र नमोनारायण नाबालिग जर्ये सरपरस्त पिता नमोनारायण।
15. अंजना पुत्री नमोनारायण नाबालिग जर्ये सरपरस्त पिता नमोनारायण।
16. नारायण पुत्र रामजीवन।
17. गोवर्धन पुत्र रामजीवन।
18. अर्जुन पुत्र किशनलाल।
19. रामदयाल पुत्र रामस्वरूप।
20. अर्जुन पुत्र रामदयाल।
21. रूपनारायण पुत्र मुरली।
22. श्रामधन पुत्र मुरली जाति ब्राह्मण (मृतक)
22/1. गीता पत्नि स्व0 रामधन।
22/2. विरेन्द्र कुमार पुत्र रामधन शर्मा निवासीयान ग्राम नंगला चारण तहसील व जिला अलवर।
22/3. रेणू पुत्री रामधन पत्नि घनश्याम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खोहरा मलावली तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
22/4. रेखा पुत्री रामधन पत्नि शशी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खोहरा मलावली तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
22/5. लक्ष्मी पुत्री रामधन पत्नि पिन्की जाति ब्राहमण निवासी राज भट्टा अलवर।
22/6. रचना पुत्री रामधन पत्नि आलोक जाति ब्राहमण निवासी बीजबाड नरूका तहसील मालाखेडा जिला अलवर।
23. धप्पो बेवा रामजीवन (मृतक)
23/1. नारायण शर्मा पुत्र स्व0 धप्पो पुत्र स्व0 रामजीवन जाति ब्राहमण।
23/2. गोवर्धन लाल शर्मा पुत्र स्व0 धप्पो पुत्र स्व0 रागजीवन जाति ब्राहमण।
23/3. अंगूरी बेवा आनन्दीलाल पुत्रवधू धप्पो ब्राहमण।
23/4. महावीर प्रसाद पुत्र आनन्दीलाल पौत्र धप्पो जाति ब्राहमण निवासीयान ग्राम नंगला चारण तहसील व जिला अलवर राज0।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

.....तकमीली रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री गिर्राज प्रसाद, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री के.के.रायजादा , अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–03.12.2019

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 06.08.2008 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है" ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 46, 213, 214, 215, 216, 217, 136 लगायत 156, 171, 172, 159, 162 लगायत 170 ग्राम नांगल चारण तहसील अलवर जिला अलवर में स्थित है। जिसे विवादित बताते हुये उक्त आराजीयात की बाबत एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादी रेस्पो0 संख्या एक ने तहत अदालत में पेश किया हुआ है जो विचाराधीन है कि जिस दावा के साथ वादी रेस्पो0 संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का भी पेश किया कि जो प्रार्थना पत्र तहत अदालत द्वारा दिनांक 06.08.2008 को निर्णय पारित कर बेजा रू॰ से स्वीकार फरमाया जाकर रिकार्ड व मौका की स्थिति यथावत रखने के आदेश पारित किये हैं। जिस निर्णय दिनांक 06.08.2008 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषकगण बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराया। तहत अदालत के आदेश पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराते हुये तर्क किया कि वादी रेस्पो0 बाबूलाल मृतक कजोडा के जीवनकाल में ही अपने फूफाजी यानि मृतक कजोडा के बहनोई छज्जूराम पुत्र बंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बहादरपुर के गोद चला गया था इसलिये मृतक कजोडा की संपत्ति से वादी बाबूलाल का किसी भी प्रकार का कोई संबंध सरोकार नही रहा। मृतक कजोडा ने अपने जीवनकाल में ही अपने पौत्र अभिमन्यू शर्मा पुत्र मुरारीलाल, सावकुमार पुत्र रमेशचन्द, सतीशकुमार पुत्र रामावतार, रामलखन पुत्र राजेन्द्रकुमार निवासीयान नंगला चारण तहसील जिला अलवर के हक में दिनांक 13.01.2005 को बसीयतनामा तहरीर व तकमील कर नोटेरी से तसदीक करा दिया जो अपीलांट संख्या 1 लगायत 4 के पुत्र हैं। इस प्रकार विवादित आराजी से वादी रेस्पो0 संख्या 1 व हेमलता नीरज पंकज रेस्पो0 तथा अपीलांट संख्या 5–6 का कोई संबंध सरोकार नही रहा है और ना है। वादी रेस्पो0 संख्या 1 बाबूलाल व रेस्पो0 हेमलता नीरज पंकज आपस में मिले हुये हैं। जो हम अपीलांट संख्या 1 लगायत 4 व हमारे परिवार के लोगों को धमकाते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रार्थना पत्र वही व्यक्ति ला सकता है जो खातेदार या उपकाश्तकार हो जबकि वादी रेस्पो0 संख्या 1 ना तो खातेदार है और ना ही उपकाश्तकार है और ना ही उसका विवादित आराजी से वास्तविक व गैरवास्तविक रूप से कोई संबंध सरोकार है। वादी रेस्पो0 संख्या 1 एक गैरकाबिज व गैरवास्ता शख्स आराजी मुतनाजा है। कानूनन ऐसे शख्स के पक्ष में कोई निषेधाज्ञा पारित नही की जा सकती। वादी ने बराय बदयांति अपीलांट संख्या 1

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

लगायत 4 के पुत्रान के हक में मृतक कजोडा द्वारा की गई वसीयतनामा के आधार पर नामांतकरण दर्ज कराने में व्यवधान डालने हेतु सारी कार्यवाही कर वाद प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। जिससे कि वसीयतनामा दिनांक 13.01.2005 के आधार पर नामांतकरण दर्ज ना हो। वादी तथा रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 4 आपस में मिले हुये हैं।मृतक रामनारायण ने दिनांक 11.09.71 को सेपरेशन की डिग्री न्यायालय से प्राप्त कर ली थी। मृतक रामनारायण की शादी 1968 में हो गई व 1971 में सेपरेशन हो गया जबकि रेस्पो0 नीरज व पंकज का जन्म 1971 के बाद हुआ है। इससे यह साबित होता है कि ये मृतक रामनारायण के पुत्र नही है।रेस्पो0 नीरज द्वारा विवादित आराजी के बाबत एक अन्य वाद पेश किया जिसका उनवान नीरज बनाम कजोड है जिसमें वादी बाबूलाल को पक्षकार नही बनाया है। अगर बाबूलाल पुत्र होता तो उसे भी पक्षकार बनाया जाता। जिससे यह स्पष्ट है कि बाबूलाल गोद चला गया जिससे उसे पक्षकार नही बनाया गया। कजोड ने दिनांक 13.01.2005 को वसीयत की है व वसीयत में बाबूलाल को अन्यत्र गोद जाने की बात भी लिखी है साथ ही बाबूलाल द्वारा थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उसने अपने पिता का नाम छज्जू लिया है। व सन 1988 की मतदाता सूची में कम संख्या 57 में बाबूलाल के पिता का नाम छज्जू लिखा है। ग्राम पंचायत बहादरपुर का प्रमाण पत्र व राशनकार्ड में बाबूलाल के पिता का नाम छज्जू दर्ज है। ऐसी अवस्था में गोद जाने के बाद बाबूलाल का कजोडा से एवं उसकी संपत्ति से कोई संबंध सरोकार नही रहा है। तहत अदालत द्वारा प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, नापूर्ति होने वाली क्षति तीनों का अलग अलग विस्तृत रूप से विवेचन व न्यायपूर्ण निस्तारण नही किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया। उन्होंने अपने समर्थन में निम्न कानूनी दृष्टांत पेश किये। डी.एन.जे. राज. 2007(2) पेज 585, आर.आर.टी. 2007(2) पेज 945, आर. आर.टी. 2010(2) पेज 421, आर.आर.डी. 2001 पेज 324 एवं आर.आर.डी. 1992 पेज 658।

अभिभाषक रेस्पो0 ने जबाव बहस में कथन किया कि विवादित आराजी स्वर्गीय कजोडा की खातेदारी भूमि थी। जिसमें विवादित आराजी मुतनाजा के खाता संख्या 7 कुल किता 6 कुल रकबा 1.87 है0 तन्हा रूप से मृतक कजोडा खातेदार दर्ज है।एवं खाता संख्या 14 कुल किता 20 रकबा 3.68 है0 में मृतक कजोडा का 1/12 हिस्सा इसी प्रकार खाता संख्या 20 कुल किता 13 कुल रकबा 2.62 में मृतक कजोडा का 1/8 हिस्सा है।बाबूलाल कजोडा का वारिस पुत्र है। तहत अदालत में उनके द्वारा जमाबंदी व मिलान क्षेत्रफल पेश किया है। बाबूलाल किसी के गोद नही गया। जबावदावे के अनुसार रेस्पो बाबूलाल सन 1980 में गोद गया। रेस्पो ने सैकण्डरी स्कूल का प्रमाण पत्र पेश किया जिसमें उसकी उम्र 31.12.1950 है। इनके गोद जाने का अपीलांट की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। जबकि 15 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को गोद नही लिया जा सकता है। वसीयत परक्षण केवल सिविल कोर्ट ही कर सकती है। वसीयत भी अभी प्रमाणित होनी है। इसके बिना गोद जाना नही माना जायेगा।अपीलांट का यह भी कथन कि मृतक कजोड ने अपनी भूमि वसीयत कर दी जबकि मुताबिक जमाबंदी संवत 2014 अनुसार विवादित भूमि पुश्तैनी है। इससे संबंधित मिलान क्षेत्रफल भी पेश किया है। अगर भूमि स्वअर्जित है तो भी इस वसीयत के आधार पर रेस्पो0 बाबूलाल के अधिकार समाप्त नही होते हैं। कथित वसीयत रजिस्टर्ड नही है नोटेरी से प्रमाणित है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज.)

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । बहस पर मनन किया गया।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा कानूनी दृष्टांतों के तथ्य अपील के तथ्यों से भिन्न है। इसलिए इस प्रकरण चस्पा नहीं होते हैं क्योंकि प्रकरण में समस्त राजस्व एवं अन्य दस्तावेज संलग्न है, प्रथमदृष्टया कब्जा से संबंधित प्रकरण है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई निर्णयों में यथास्थिति को सही ठहराया है।

वसीयतनामा दिनांक 13.01.2005 गोद जाने से संबंधित है। जो वसीयतनामा द्वारा कजोडमल उर्फ कजोडा पुत्र हरबक्श जाति ब्राह्मण द्वारा दूसरे पुत्र बाबूलाल को उसके बहनोई छज्जू पुत्र बंशी लाल के गोद जाने का उल्लेख किया गया है, से संबंधित है। परंतु वसीयतनामा पर अधिवक्ता रेस्पो0 ने प्रश्नचिन्ह किए हैं कि गोद के उल्लेख के समय बाबूलाल की उम्र 20 वर्ष थी, वसीयतनामा पंजीकृत नहीं है, पंचायत की मतदाता सूची 1994 में क्रम संख्या 194 पर बाबूलाल पुत्र कजोडमल अंकित है, राशनकार्ड वगैरह भी पेश किए हैं। हिन्दू दत्तक तथा भरण–पोषण अधिनियम की धारा 10(4) के अनुसार 15 वर्ष की आयु तक ही गोद लिए जाना अनुज्ञात है। विवादित आराजी का खातेदार मृतक कजोड था जहां तक प्रश्न रेस्पो0 के गोद जाने का है एवं अपीलाण्ट के पक्ष में वसीयत करने का है यह सभी बिन्दु वाद में साक्ष्य सबूत लिए जाने पर तय किये जाने है यहां यह तथ्य भी निर्विवाद है कि रेस्पोडेण्ट एवं अपीलाण्ट संख्या 1 लगा0 4 एवं मृतक रामनारायण, कजोडा के पुत्रान एवं अपी0 संख्या 5 एवं 6 रामदेई एवं क्षमा पुत्रीयान है। उक्त दोनों बिन्दुओं पर पक्षकारान में कोई विवाद नहीं है। अपीलाण्ट अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि रेस्पो0 बाबूलाल अन्यत्र गोद चला गया, जिससे उसका मृतक कजोडा की आराजी में कोई हक–हकूक नहीं रहा। दूसरी ओर रेस्पो0 अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी मृतक कजोडा का ज्येष्ठ पुत्र है और गोद जाने का काई साक्ष्य सबूत नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत मृतक व्यक्ति की चल–अचल सम्पति में सभी पुत्र पुत्रियों एवं जायज वारिसान का बहिस्से बराबर का हक होता है। अतः जब तक वाद का अंतिम निर्णय तहत अदालत द्वारा नहीं किया जाता है जब तक विवादित आराजियात की रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश जारी किया, उसमें यह न्यायालय हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर का निर्णय दि0 06.08.2008 यथावत रखा जाता है। खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

03.12.19

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर